संख्या–895 / 12–3–10–100(8) / 2010

प्रेषक

पी. एन. सिह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग–3

लखनऊः: दिनांकः 15 अप्रैल 2010

विषयः– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत लघु सिंचाई बिभाग की योजनाओं के लिए धनराशि रू0–250000 हजार की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशक के पत्रांक–भू.सं. / 16 / रा.कृ.वि.यो., दिनांक 13.4.2010 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष–2010–11 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की निम्न तालिका में अंकित परियोजनाओं हेतु कुल रू0–250000 हजार (रू0 पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

धनराशि हजार रू0 में

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मानक मद	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	कन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लास्टवेल इन राकी एरिया	वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–13–लघु सिंचाई की योजनाओं के अन्तर्गत मानक मद–27–सब्सिडी		26000
2	मध्यम गहरे / गहरे / डा. अम्बेडकर सामूहिक नलकूप / डा. भीमराव अम्बेडकर नलकूप परियोजना		250000	224000
	योग		250000	250000

(रू0 पच्चीस करोड़ मात्र)

2– उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3– उक्त धनराशि का उपयोग योजना की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों / गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय–व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

4– आवश्यकतानुसार योजनाओं पर भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

5— योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

6— उपर्युक्त तालिका के कमांक—2 पर अंकित योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग डीप बोरिंग/मीडियम डीप बोरिंग/डा. अम्बेडकर कम्यूनिटी ट्यूबवेल स्कीम/डा. भीमराव अम्बेडकर ट्यूबवेल स्कीम हेतु कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

6— उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2010—11 के आय व्ययक के अनुदान सं0—11 के लेखाशीर्षक—2401—फसल कृषि कर्म—आयोजनागत—800—अन्य व्यय—03—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—13—लघु सिंचाई की योजनाओं के अन्तर्गत मानक मद—27—सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप सं0—बी0—1—1071/दस—2010—231/2010, दिनांक 26.3.2010 में प्रतिनिधानित आधिकारों के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी. एन. सिंह)
उप सचिव।

सं0—895 (1)/12—3—2010—तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2— महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3— सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4— संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5— अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6— निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7— प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8— कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9— संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।
10— वित्त नियंत्रक, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11— नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
12— वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग—1/कृषि अनुभाग—5/नियोजन अनुभाग—3
13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पी. एन. सिंह)
उप सचिव।